उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
बुद्धवार 26 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 16 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1– अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी (क))

2– सदस्यों की गिरफ्तारी, निरूद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों ।

3– मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों ।

4– विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।

5– कार्यस्थगन का प्रस्ताव यदि कोई हो।

6– वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान :–

1– वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1900532 हजार (एक अरब नब्बे करोड़ पांच लाख बत्तीस हजार) **रूपये से** अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

2– ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 **को समाप्त** होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **होने वाले** परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के **लिए, लेखानुदान** द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1282778 हजार **(एक अरब** अट्ठाइस करोड सत्ताइस लाख अठत्तर हजार) रूपये **से अनधिक धन**राशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

.....2/–

7— राजकीय इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों हेतु चयनित अभयर्थियों को नियुक्ति देने के सम्बंध में श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

8— गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतन देने के सम्बंध में डा0 इन्दिरा हृदयेश, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

9— उत्तरांचल के विधान सभा क्षेत्रों में पांच—पांच आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत किए जाने के बाद भी उनका समुचित संचालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में श्री लाखी राम जोशी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 वित्तमंत्री का वक्तव्य।

10— नियम—103 के अन्तर्गत डा0 इन्दिरा हृदयेश सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा।

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान एवं विकास हेतु किसी कल्याण बोर्ड अथवा निगम की स्थापना की जाए।'

11— नियम—51 के अन्तर्गत सूचनाऐं, यदि कोई हों।

देहरादून।

दिनांक : 16 मई 2001

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र 2001, का
तीसरा बुद्ध

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
बुद्धवार 26 बैशाख, शक संवत्, 1923
(दिनांक : 16 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्
नत्थी (क)

—: तारांकित प्रश्न :—

श्री राजेन्द्र सिंह
22—2—2001

* 1— क्या वन मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के वनों की मुख्य प्रजाति साल को होपली कीट द्वारा पहुंचाये जा रही क्षति के कारण अभी तक कितने हैक्टेयर वनों को नुकसान हुआ है ? क्या मंत्रीजी यह भी बतायेंगे कि होपली कीट को समाप्त करने व साल के जंगलों को बचाने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? — वन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
2—3—2001

* 2— क्या माननीय वित्त मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों एवं सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते एवं तदर्थ बोनस का भुगतान करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? — वित्त

श्री राम सिंह सैनी
3—3—2001

* 3— क्या वन मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल में वन निगम का विभाजन न होने के कारण व स्थानीय वन उपज की नीति तय न होने के कारण करोडों रूपये की खैर की लकड़ी खराब होने के कगार पर पहुंच गयी है ? यदि हां, तो जनहित में इस लकडी को कब तक बेचने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? — वन

श्री मुन्ना सिंह चौहान
3—3—2001

* 4— क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार गिद्ध पक्षियों (वल्चर) की संख्या में आ रही निरन्तर कमी को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? — वन

.....2/

श्री अम्बरीष कुमार 16—3—2001	* 5— क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष राज्य के दर्जे एवं विशेष आर्थिक पैकेज़ हेतु शर्तें/अहितार्थ क्या हैं ? क्या उत्तरांचल राज्य उन्हें पूर्ण करता है ? यदि हां, तो विशेष राज्य का दर्जा एवं विशेष आथिर्क पैकेज कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो सरकार शर्तों को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है ?	6ठें सोम के तारा. 8 में स्था0
श्री लाखी राम जोशी 2—3—2001	* 6— क्या मुख्यमंत्री कृप्या बतायेंगे कि मण्डल स्तर के सभी विभागीय कार्यालयों को समाप्त करने की दिशा में पिछले चार माह की अवधि में क्या—क्या निर्णय सरकार द्वारा लिए गये हैं ? क्या लिए गये निर्णय कार्यान्वित कर दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	17वें सोम के तारा. 3 में स्था0
श्री इशम सिंह 22—3—2001	* 7— क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वनभूमि में अतिक्रमण करके कितने गांव बसे हुए हैं ? इन गांववासियों को स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जारी करने हेतु सरकार की क्या नीति होगी ?	वन
श्री हरवंश कपूर 24—4—2001	* 8— क्या वन मंत्री कृप्या बतायेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र में वन निगम के कुछ कर्मचारियों की सन् 1995 में छटनी की गयी थी ? यदि हां, तो छटनी किए जाने से सम्बंधित कर्मचारियों का चयन किस आधार पर किया गया था ? क्या माननीय मंत्रीजी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में जब वन निगम के कार्यक्षेत्र का विस्तार हो रहा है तो क्या छटनीशुदा कर्मचारियों को समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	वन

—: अतारांकित प्रश्न :—

श्री राम सिंह सैनी 13—3—2001	1— क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड रामपुर देहरादून के सैंडा—सढौली के ग्राम के कृषकों ने सरकारी प्रोत्साहन से प्रेरित होकर वहां जडी—बूटियों की फसलें तैयार की हैं ? क्या यह सही है कि वन विभाग के अधिकारी उनको इस फसल को काटने नहीं दे रहे है ? क्या सरकार उनकी फसल को कटवाने की कार्यवाही करायेगी यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार उक्त ग्राम के किसानों की फसल काटने के विवाद को सुलझायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (ख)

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या :– 27 वन विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश श्री इशम सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :– 19 ग्राम्य विकास विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
श्री काजी मो0 मोइउद्दीन श्री अम्बरीष कुमार श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री राम सिह सैनी डा0 इन्दिरा ह्रदयेश श्री इशम सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।